राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
8, अरेरा हिल्स भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/एन.एच.एम./शिशु स्वास्थ्य–पोषण/2019/3892 भोपाल, दिनांक : 02-04-19

प्रति,

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
भोपाल, बैतूल, हरदा, खरगौन, उज्जैन, देवास, सिवनी,
सिंगरौली, ग्वालियर, शिवपुरी एवं अशोकनगर।

2. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
भोपाल, बैतूल, हरदा, खरगौन, उज्जैन, देवास, सिवनी,
सिंगरौली, ग्वालियर, शिवपुरी एवं अशोकनगर।

विषय : जिला एन.आर.सी. मेडिकल ऑफीसर को अतिरिक्त कार्यदायित्वों से मुक्त करने के संबंध में।

****

विषयांतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत 51 जिला एन.आर.सी. मेडिकल ऑफीसर के पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदो हेतु निम्न कार्यदायित्वों का निर्धारण किया गया है–

1. सप्ताह के तीन दिवस क्रमशः सोमवार, मंगलवार, एवं बुधवार को जिला अस्पताल में संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्र में सेवाऐं प्रदान करना एवं शेष दिवस क्रमशः गुरुवार, शुक्रवार एवं शनिवार को जिले में संचालित अन्य पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करने हेतु कर्मचारियों की हेण्ड–होल्डिंग एवं सपोर्टिव सुपरविजन करना।
2. **उपरोक्तानुसार अधीनस्थ प्रत्येक पोषण पुनर्वास केन्द्र का माह में न्यूनतम 2 बार समीक्षात्मक भ्रमण सुनिश्चित हो।**
3. पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती बच्चों की प्रतिदिन प्रातः नियत समय पर चिकित्सकीय परीक्षण करना।
4. परीक्षण उपरांत दिये गए चिकित्सकीय परामर्श को सैम चार्ट में इन्द्राज करना।
5. **एन.आर.सी. में भर्ती बच्चों की संख्या कम होने पर समुदाय से बीमार गंभीर कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन कर एन.आर.सी. में भर्ती कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों से समन्वय करना।**
6. **अधीनस्थ प्रत्येक पोषण पुनर्वास केन्द्र का समुचित उपयोग एवं न्यूनतम 80 प्रतिशत बेड ऑक्यूपेंसी सुनिश्चित कराना।**
7. पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों को दवाईयाँ एवं चिकित्सकीय आहार की निर्धारित मापदण्डानुसार एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी का निरंतर मूल्यांकन करना।
8. समस्त प्रोषण पुनर्वास केन्द्रों में में क्लीनिकल प्रोटोकॉल अनुसार औषधियों की प्रदायगी एवं जांच हेतु प्रभारी चिकित्सकों से समन्वय करना।
9. पोषण पुनर्वास केन्द्र में पदस्थ पोषण प्रशिक्षक, केयर टेकर, कुक एवं सफाई कर्मी द्वारा संपादित कार्य का मूल्यांकन करना।
10. समय समय पर उक्त कर्मचारियों का दैनिक कार्य के दौरान ही कार्य स्थल पर उन्मुखीकरण करना।
11. भ्रमण के दौरान पोषण पुनर्वास केन्द्रों में प्रदाय की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना एवं कार्यरत अमले का निर्धारित मानकों पर उन्मुखीकरण करना।
12. भ्रमण के दौरान संधारित अभिलेखों की जांच करना एवं पाई गई विसंगतियों हेतु सुधारात्मक कार्यवाही करना।

13. समस्त पोषण पुनर्वास केन्द्रो में राज्य स्तर से जारी दिशानिर्देशों का शत प्रतिशत पालन सुदृढ करने में जिले को सहयोग प्रदान करना।
14. पोषण पुनर्वास केन्द्रों द्वारा प्रेषित रिपोर्टस एवं एन.आर.सी. एम.आई.एस. में दर्ज रिपोर्टस का सत्यापन कर सुधारात्मक कार्यवाही करना।
15. संपादित समस्त कार्यों की दैनिक डायरी में प्रविष्टि करना एवं मासिक रिपोर्ट के रुप में संधारण करना।
16. अधीनस्थ पोषण पुनर्वास केन्द्रों से मासिक रिपोर्ट प्राप्त कर संकलित रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित करना। प्राप्त रिपोर्टस का विस्तृत विश्लेषण करना तथा सुधारात्मक कार्यवाही करना।
17. पोषण पुनर्वास केन्द्रों में उपचारित बच्चों को एन.आर.सी. एम.आई.एस. में शत प्रतिशत डाटा अपडेशन सुनिश्चत करना।

यह राज्य स्तरीय, संज्ञान में आया है कि जिला एन.आर.सी. मेडीकल ऑफीसर को उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सेवा प्रदायगी जैसे एम.एल.सी, पोस्टमार्टम, आकस्मिक ड्यूटी, व्ही.आई.पी. ड्यूटी आदि में भी संलग्न किया जाता है तथा अधीनस्थ पोषण पुनर्वास केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु वाहन सुविधा नहीं दी जाती है। निर्धारित दायित्वों के साथ अन्य कार्यदायित्व सोंपे जाने से जिला एन.आर.सी. मेडिकल ऑफीसर का कार्य प्रभावित होता है एवं अधीनस्थ पोषण पुनर्वास केन्द्रों का प्रभावी पर्यवेक्षण संभव नहीं हो पाता है। **फलःस्वरुप अधिकांश जिलों में गुणवत्तापूर्ण एवं प्रोटोकॉल आधारित सेवा प्रदायगी, एन.आर.सी. एम.आई.एस. का डेटा अपडेशन, डेटा मूल्यांकन कार्य एवं डेटा की सटीकता प्रभावित हुई है। एच.एम.आई.एस. में भी एन.आर.सी संबंधित डेटा या तो प्रतिवेदित नहीं है या फिर त्रुटिपूर्ण है।**

निर्देशित किया जाता है कि, पोषण पुनर्वास केन्द्रों के सुचारु संचालन एवं प्रदायित सेवाओं के बेहतर परिणाम हेतु जिला एन.आर.सी. मेडिकल ऑफीसर को आवंटित कार्यदायित्व के अतिरिक्त कार्यदायित्वों से मुक्त रखा जाये तथा उनके द्वारा अधीनस्थ पोषण पुनर्वास केन्द्रों का मार्गदर्शी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाये। जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला टीकाकरण अधिकारी द्वारा संविदा जिला एन.आर.सी. मेडीकल ऑफीसर द्वारा प्रदायित सेवाओं का नियमित मूल्यांकन किया जाये।

(नीतेश व्यास)
मिशन संचालक
एन.एच.एम. मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/शिशु स्वास्थ्य–पोषण/एन.एच.एम./2019/3893 भोपाल, दिनांक : 02-05-19

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ :–
1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, एन.एच.एम, मध्यप्रदेश।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाए, मध्यप्रदेश।
5. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, भोपाल, बैतूल, हरदा, खरगौन, उज्जैन, देवास, सिवनी, सिंगरौली, ग्वालियर, शिवपुरी एवं अशोकनगर

मिशन संचालक,
एन.एच.एम., मध्यप्रदेश